न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/23/2023	2023/320	01.06.2023	21.01.2025

01. कश्मीरा पुत्री करनैल सिहं पौत्री काला सिंह,
02. नामो बाई पुत्री करनैल सिहं पौत्री काला सिहं,
03 कृष्णा पुत्री काला सिहं,
04. विद्या देवी उर्फ बिन्दो बाई बेवाह करनैल सिहं पुत्रवधू काला सिहं जाति रायसिख निवासी पीपलखेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज०।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. जरनैल सिहं पुत्र काला सिहं,
02. सुमित्रा कौर पत्नी मनोहर सिंह पुत्रवधू काला सिंह,
03. राजू पुत्र रामसिंह,
04. जसपाल सिंह पुत्र रामसिंह,
05. तारोबाई बेवाह रामसिंह,
06. गुरनाम सिंह पुत्र मनोहर सिंह,
07. सतनाम सिंह पुत्र मनोहर सिंह,
08. श्याम सिंह पुत्र मनोहर सिंह,
09. गुरू जीत सिहं पुत्र रामसिंह जाति रायसिख निवासी पीपलखेड़ा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
10. तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर।
11. उप पंजीयक बडौदामेव, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 स्वीकार आदेश दिनांक 31.03.2023 जरिये (आदेश क्रमांक भू0अ0/2023/144/27.03.2023 उपतहसीलदार बडौदामेव) ग्राम पीपलखेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

उपस्थितः—

01.श्री गणपत सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट्स
02.श्री अमरचन्द चौधरी —वकील रेस्पोडेंट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार बडौदामेव इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 आदेश दिनांक 31.03.2023 जरिये (आदेश क्रमांक भू0अ0/2023/144/27.03.2023 उपतहसीलदार बडौदामेव) ग्राम पीपलखेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के बुर्जुग काला सिहं पुत्र गुरदत्त सिहं की खातेदारी एवम कब्जे काश्त की आराजी हाल खसरा नंबर 292 रकबा 0.77, 324 रकबा 0.56, 328 रकबा 0.73, 340 रकबा 0.95, 344 रकबा 0.48, 345 रकबा 0.24, 346 रकबा 0.24, 356 रकबा 0.32 है० वाके ग्राम पीपलखेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर में स्थित है। मृतक काला सिहं की खातेदारी की आराजी पर उनके जीवनकाल तक स्वंय काला सिहं खुदकाश्त थे और उनके मरने के बाद अपीलाण्ट एवम रैस्पोडेण्ट सख्या 01 ला० 09 अपने—अपने हिस्सा पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है और मृतक काला सिहं द्वारा अपने जीवनकाल मे अपनी आराजीयात की बाबत कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया जिसके बावजूद काला सिहं के मरने के बाद रैस्पोडेण्ट संख्या 01 ने बाले वाले एक कूटरचित दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 17.07.2018 का अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पक्ष में फर्जी अगूंठा/हस्ताक्षर करके तैयार कर लिया और उसे असल के रुप मे उपयोग लेते हुए स्वंय को सदोष लाभ पहुंचाने तथा अपीलाण्ट व अन्य को सदोष हानि पहुंचाने की गरज से बाले वाले नायब तहसीलदार साहब बडौदामेव के समक्ष प्रार्थना पत्र के साथ पेश करके उस पर अपीलाण्ट को बगैर सुनवाई का मौका प्रदान किये अपने पक्ष में रैस्पोडेण्ट तत्कालीन तहसीलदार बडौदामेव (लक्ष्मणगढ) द्वारा कार्यवाही करते हुए इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 स्वीकार आदेश दिनांक 31.03.2023 को स्वीकार किया गया और विवादित आराजी को राजस्व रिकार्ड मे रैस्पोडेण्ट के नाम पर दर्ज कर दिया जिस पर यह अपील पूर्ण वजूहात के साथ पेश की जा रही है।

नायब तहसीलदार बडौदामेव द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना पत्र पर मृतक काला सिहं के सभी वारिसान को कोई व्यक्तिगत नोटिस जारी नहीं किया और केवल अपजीकृत दस्तावेज वसीयतनामा के तथ्यो एवम प्रार्थी आवेदक रैस्पोडेण्ट के कथनो पर विश्वास करते हुए बगैर सुनवाई का मौका प्रदान किये आलोच्य निर्णय पारित कर आलोच्य इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 स्वीकार आदेश दिनांक 31.03.2023 स्वीकार किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र के निर्णय में यह तथ्य अंकित किया है कि बिन्दो बाई उर्फ विधा देवी पत्नि करनैल सिहं के द्वारा अपना लिखित बयान पेश करना और उसमे यह अंकित करना कि काला सिहं द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति की वसीयत की है जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि मृतक करनैल सिंह की पत्नी बिन्दोबाई उर्फ विधा देवी जो कि एक अनपढ महिला है जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है और उनके द्वारा कोई लिखित बयान तहसीलदार के समक्ष नहीं दिये बल्कि बिन्दो बाई से तहसीलदार कार्यालय में ले जाकर केवल मात्र उनके खाली कागजो पर अगूंठा लगवाया गया और इससे अधिक उन्हें कोई जानकारी नहीं है जहाँ तक आराजी के मृतक काला सिहं के स्वअर्जित होने का कथन है जो सरासर गलत है चूकिं उक्त आराजी काला सिहं को भारत पाकिस्तान विभाजन के दोनो विस्थापित शरणार्थी के रुप में काला सिहं के पाकिस्तान से यहाँ आने पर सरकार द्वारा काला सिहं को उनके परिवार के पालन पोषण एवम नियमित आय प्राप्त करने के लिए आवंटित की गई थी जो आराजी किसी भी प्रकार से स्वअर्जित आराजी नही है जिस आधार पर आलोच्य निर्णय एवम इन्तकाल काबिल खारिज है।

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान वसीयतनामा दिनांक 17.07.2018 के आधार पर कार्यवाही की गई लेकिन उक्त दस्तावेज वसीयतनामा को तस्दीक करने वाले नोटरी पब्लिक, स्टाम्प विक्रेता, एवम वसीयत पर दर्ज गवाहान की कोई साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कराई गई और बाले वाले आनन–फानन मे आलोच्य निर्णय पारित कर इन्तकाल स्वीकार किया गया है जिस आधार पर उक्त कार्यवाही के बगैर इन्तकाल व निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अन्य उजरात अपील वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगे। तहसीलदार बडौदामेव लक्ष्मणगढ अलवर जिला अलवर के निर्णय के विरूद्ध यह अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

अपील इन्तकाल स्वीकार आदेश दिनांक 27.03.2023 को पारित किया गया जिस जानकारी अपीलाण्ट को हाल ही में नकल प्राप्त करने पर जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन करके नकल प्राप्त हुई है जिससे अपील हाजा अन्दर अवधि पेश किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर उपतहसीलदार बडौदामेव तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर द्वारा स्वीकार किये गये इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 स्वीकार आदेश दिनांक 31.03.2023 को खारिज किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

रैस्पोडेंट 01 लगायत 09 ने जरिये अधिवक्ता क्षेत्राधिकार के बिन्दु से संबंधित प्रा0प0 पेश कर निवेदन किया है कि उक्त अनुवान की अपील अदालत श्रीमान में विचाराधीन हैं, जिसमें आज की तारीख पेशी नियत हैं। अपीलान्टस द्वारा उक्त अपील इन्तकाल संख्या 1596 दिनांक 27.03.2023 स्वीकार आदेश दिनांक 31.03.2023 (आदेश क्रमांक भू0अ0/2023/144/27.03.2023 उप तहसीलदार बडौदामेव) ग्राम पीपलखेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अलवर के खिलाफ अदालत श्रीमान में पेश की गयी हैं। अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बडौदामेव जिला अलवर द्वारा उक्त आज्ञा राजस्थान पत्रिका अखबार में सर्वसाधारण को उजरदारी इश्तहार व नोटिस जारी करने के उपरान्त कोई उजरदारी पेश नही होने पर पारित की गई हैं। अपीलाधीन आज्ञा पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित गवाह को तलब कर बयान दर्ज किये गये, एंव उजरदारी इश्तहार एवं नोटिस जारी किये गये, जो समस्त प्रक्रिया विवादित प्रकरण की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि नोटिस व इश्तहार उजरदारी धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत ही जारी होते हैं, जो विवादित इन्तकाल की श्रेणी में आते हैं। इसलिये अपीलाधीन आज्ञा विवादित होने के कारण उसके खिलाफ अपील अदालत श्रीमान के क्षेत्राधिकार में नही आने से अदालत श्रीमान में पोशनीय नही हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आज्ञा के खिलाफ विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अनुसार विवादित इंतकाल की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित हैं। लेकिन अपीलान्टस द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर क्षेत्राधिकार विहिन अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई हैं। इसलिए अपील अपीलान्टस क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अदालत श्रीमान में पोशनीय न होकर प्रथम स्टेज पर ही सव्यय खारिज किए जानें योग्य हैं। जिस हेतु यह प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किये जावेगें। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है, कि प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रथम स्टेज पर ही सुनवाई कर सव्यय खारिज फरमायी जावें। महति कृपा होगी।

वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जबाव पेश नहीं किया गया, सीधे ही बहस करना चाहते हैं।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया गया। क्षेत्राधिकार के प्रार्थनापत्र में निहित समस्त तथ्यों का मिलान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्डानुसार प्रकरण धारा 135(2) का था। धारा 135(2) के अन्तर्गत नामांतरण के विवादित मामलों में बहैसियत सहायक भू–अभिलेख अधिकारी तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार द्वारा अनुप्रमाणित नामान्तरण के विरूद्ध प्रथत अपील का श्रवणाधिकार बहैसियत निदेशक, भू–अभिलेख सम्भागीय आयुक्त अथवा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को है। अपील श्रवणाधिकार से बाहर होने से अपील निरस्त योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)